

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04022022-233117 CG-DL-W-04022022-233117

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 3]

नई दिल्ली, जनवरी 16- जनवरी 22, 2022, शनिवार/ पौष 26- माघ 2, 1943

No. 3]

NEW DELHI, JANUARY 16-JANUARY 22, 2022, SATURDAY/PAUSHA 26-MAGHA 2, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

का.आ. 69.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतदद्वारा, श्री अतुल कुमार गोयल (जन्म तिथि: 26.12.1964), प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूको बैंक को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 31.1.2022 तक पंजाब नैशनल बैंक में विशेष कार्यकारी अधिकारी के पद पर तथा दिनांक 1.2.2022 से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक (अर्थात् 31.12.2024 तक) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री सीएच. एस. एस. मिललकार्जुन राव के स्थान पर पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/1/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

148

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 28th December, 2021

S.O. 69.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Atul Kumar Goel (date of birth: 26.12.1964), Managing Director and Chief Executive Officer, UCO Bank as Officer on Special Duty in Punjab National Bank with effect from the date of assumption of the said office till 31.1.2022 and as Managing Director and Chief Executive Officer, Punjab National Bank, vice Shri Ch. S. S. Mallikarjuna Rao, with effect from 1.2.2022 and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.12.2024), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

का.आ. 70.— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतदद्वारा, श्री सोमा शंकर प्रसाद (जन्म तिथि: 5.5.1963), उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को श्री अतुल कुमार गोयल द्वारा यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का त्याग करने की तारीख को या उसके पश्चात् उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से श्री सोमा शंकर प्रसाद द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक (अर्थात् 31.5.2023 तक) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उन्हें यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/1/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 28th December, 2021

S.O. 70.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Soma Sankara Prasad (date of birth: 5.5.1963), Deputy Managing Director, State Bank of India as Managing Director and Chief Executive Officer, UCO Bank, with effect from the date of assumption of the said office, on or after the date on which Shri Atul Kumar Goel demits the office of Managing Director and Chief Executive Officer, UCO Bank and up to the date of Shri Soma Sankara Prasad attaining the age of superannuation (i.e., 31.5.2023), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director